2017/00085 10

न्यायालय उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर(सवाई माधोपुर)

(राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत भूखा)

पीठासन अधिकारी :- **श्री मुकेश कुमार कायथवाल** (आर0.ए0एस0)

मु.न. 01 / 2016 अपील रजू दिनांक 28.01.2016 निर्णय दिनांक :-25.05.2017

1:-जगदीश पुत्र नानजी जाति मीना उम्र 43 वर्ष निवासी भूखा तहसील मलारना डूंगर

अपीलान्ट

बनाम

1:- केदार पुत्र नानजी मीना निवासी भूखा तहसील मलारना डूंगर
2:- कालूराम पुत्र नानजी मीना निवासी भूखा तहसील मलारना डूंगर
3:- रामनरेश पुत्र नानजी मीना निवासी भूखा तहसील मलारना डूंगर
4:- गिर्राज पुत्र मीठया मीना निवासी भूखा तहसील मलारना डूंगर
5:- धीसीं बेवा मीठ्या जाति मीना निवासी भूखा तहसील मलारना डूंगर
6:- रूपा पुत्र अम्बालाल मीना निवासी भूखा तहसील मलारना डूंगर
7:- ग्राम पंचायत भूखा जरिये सरपंच महोदय ,
8:- तहसीलदार मलारना डूंगर

रेस्पोडेन्टस

अपील बनाराजगी नामान्तरकरण सं. 710 दिनांक 5-8-2008

-:निर्णय:-

अपीलान्ट व्दारा अपील में निवेदन किया है कि ग्राम पचाांयत भूखा ने मृतक नानजी पुत्र अम्बालाल मीठ्या पुत्र अम्बालाल, नूरका बेवा अम्बालाल का नामान्तरकरण सं 710 तथ्य एंव कानूनी प्रावधानों के खिलाफ बिना जांच एव बिना सुने बिना किसी आधार के अपीलान्ट का नाम जगदीश की जगह हंसा दर्ज करते हुए खोला गया है जिसमें अपीलान्ट का नाम हंसा गलत दर्ज किया गया है अपीलान्ट के पिता की विरासत का नामान्तकरण खोले जाते वक्त अपीलान्ट के भाईयो व माता का नाम तो सही दर्शा दिया गया परन्तु अपीलान्ट का सही नाम जगदीश की जगह हंसा दर्शा दिया है अतः नामा0 संख्या 710 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट का सही नाम जगदीश पुत्र नानजी दर्ज कर ग्राम भूखा का नामा0 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 6 के नाम खोले जाने के आदेश देने की कृपा करे। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 8 को जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु रेस्पोडेन्टस बाद तामील उपस्थित नही। ऐसी स्थिति मे साक्ष्य जगदीश एवं केदार पुत्र नानजी की ली गई जिसके अनुसार अपीलान्ट के पिता की मृत्यु का नामा0 खोलते समय जगदीश का नाम हंसा गलत दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त फरमाया जावे अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन मे नामा संख्या 710 की प्रमाणित प्रतिलिपी,आधार कार्ड,हायर सैकेण्डरी की मार्कशीट,पेन कार्ड एवं राशन कार्ड की फोटो प्रति पेश की है।आज राज्य सरकार द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत भूखा मे आयोजित किया गया हैं ।मजमे आम मे उपस्थित लोगो से अपीलान्ट जगदीश के सही नाम की जानकारी की गई सभी ने अपीलान्ट का नाम जगदीश पुत्र नानजी होना बताया हंसा पुत्र नानजी को ग्राम भूखा मे कोई व्यक्ति नही है।

अतः लोक अदालत की भावना से अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित समझता हू।

मुकेश कुमार कायथवाल
उपजिला कलेक्टर
मलारना डूंगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2019.11.22 14:04:45 IST
Reason: SelfAttested